या तो यह शरारत इस खबर में उदरित लड़के की है या फिर बनियों में भी खाप होती हैं (क्योंकि ऐसे मामलों में एक जाति की खाप दूसरी जाति में हस्तक्षेप नहीं करती) या फिर दैनिक भास्कर पर इस शरारत के लिए मानहानि का मुकद्दमा बनता है: http://www.bhaskar.com/article/HAR-HIS-khap-denied-telling-afraid-of-marriage-10-months-ago-4163536-NOR.html?C3-HAR=

खाप का डर बता कर नकार दी 10 माह पहले हुई शादी

bhaskar news | Jan 30, 2013, 06:12AM IST

भोपाल. महिला थाने में एक हाई प्रोफाइल मामले की मंगलवार को सुनवाई हुई। इसमें हैदराबाद में डिफेंस में नौकरी करने वाले एक वैज्ञानिक ने भोपाल की युवती को खाप पंचायत का डर दिखाकर दस माह पहले की गई शादी को सिरे से नकार दिया।

वैज्ञानिक ने काउंसलर को फोन पर बताया कि उसका और लड़की का गोत्र एक है। यह बात शादी के बाद पता चली। वह हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। खाप पंचायत ऐसी शादी को नहीं मानती। वो अपनी जान से हाथ नहीं धोना चाहता इसलिए वह ऐसी शादी को सिरे से नकारता है।

इधर, लड़की का कहना है कि वो अपना घर नहीं तोडऩा चाहती सो मदद के लिए महिला थाने आई है। इस मामले में काउंसलिंग की जा रही है। थाने ने नोटिस भेजकर लड़के को भोपाल बुलाया है।

भोपाल महिला थाने की काउंसलर मुहिब अहमद ने बताया कि आवेदक पल्लवी ने अपनी लिखित शिकायत में बताया कि भोपाल से बीटेक करने के बाद उसने हैदराबाद मल्टी नेशनल कंपनी में नौकरी कर ली। वहां उसकी मुलाकात हरियाणा के रोहतक निवासी प्रवीन जैन से हुई।

मुलाकात प्यार में बदल गई। इस दौरान प्रवीन की नियुक्ति हैदराबाद डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन के डीएल आरएल डिवीजन के सॉफ्टवेयर विंग में वैज्ञानिक सी के पद पर हो गई। यहां प्रवीन की बॉस पल्लवी की बहन थी।

शिकायत में पल्लवी ने बताया कि इस बात का पता लगते ही प्रवीन ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा जिसे उसने मान लिया। दोनों की शादी 2010 में हो गई। शादी के १० माह तक तो अच्छा चला। इसके बाद प्रवीन का विंग चेंज हो गया और उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा।

उसने पहले तो एमटेक करने के लिए दबाव डाला। काफी दबाव डालने पर उसने नौकरी छोड़कर भोपाल से एमटेक भी कर लिया। जब वह वापस हैदराबाद गई तो प्रवीन ने उसे पहचानने से इंकार कर दिया।

पल्लवी ने बताया कि घर से निकलने के दौरान हुई बहस में प्रवीन ने कहा कि उसने सीआर ठीक रखने के लिए शादी की थी। साथ ही इस बात की जानकारी दी कि उसका गोत्र एक है। यही वजह है कि वो इस शादी को नहीं मानता।

इस मामले में काउंसलर ने डिफेंस के अधिकारियों से बात की और प्रवीन को 2 फरवरी को भेजने की बात कही। इधर, प्रवीन का कहना है कि उसने पल्लवी से शादी ही नहीं की तो वो महिला थाने भोपाल क्यों आए।

वहीं, पल्लवी ने आवेदन के साथ हैदराबाद आर्य समाज मंदिर में हुई शादी का प्रमाण पत्र और शादी के बाद साथ रहने के फोटो दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किए हैं। महिला थाने की प्रभारी सोनाली सूना ने बताया कि मामला फिलहाल काउंसलिंग में हैं।